छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आदेश

क्रमांक 10 (App.) / बिलासपुर, दिनांकः 10 फरवरी, 2021

II-14-1/2018 (Comp. Prog.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की स्थापना पर **श्री अशोक सिंह पैकरा, आत्मज श्री कुमार सिंह पैकरा, HIG 11A, बाजपेयी कैसल, मिनोचा कालोनी, बिलासपुर (छ.ग.)** को प्रतीक्षा सूची से अनारक्षित पद के विरूद्ध रिक्त **कम्प्यूटर प्रोग्रामर (Computer Programmer)** के पद पर पे मेट्रिक्स के लेवल–12 (56100-177500) में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से **3 वर्ष** की परिवीक्षा पर निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन नियुक्त किया जाता हैः–

(1) परिवीक्षा अवधि पर उन्हें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में उक्त चयनित पद के वेतनमान के न्यूनतम का क्रमशः 70%, 80% एवं 90% राशि स्टायपेण्ड के रूप में दिया जावेगा परन्तु उक्त परिवीक्षा अवधि में उन्हें स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे। परिवीक्षा अवधि की सफलतापूर्वक समाप्ति पर एवं उन्हें सेवा या पद पर स्थाई किये जाने के पश्चात् उनका वेतन उनके द्वारा धारित पद के वेतनमान के न्यूनतम पर नियत किया जावेगा।

(2) परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे एक वर्ष तक और बढ़ाई जा सकेगी और जब तक स्थायी न कर दिया जाये तब तक उन्हे परिवीक्षा पर माना जायेगा।

(3) परिवीक्षा काल में उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी ।

(4) अस्थायी सेवा काल में वे यदि स्वयं सेवा से मुक्त होना चाहेंगे तो एक माह की पूर्व सूचना रजिस्ट्री को देनी होगी या यदि तुरन्त कार्य मुक्त होना चाहे तो एक माह की सूचना के बदले एक माह का वेतन जमा करना होगा। इसी प्रकार यदि नियोक्ता द्वारा उन्हे सेवा से पृथक किया जाना हो तो उन्हे नियोक्ता द्वारा एक माह की पूर्व सूचना दी जायेगी या ऐसी सूचना के बदले एक माह का वेतन देकर तुरन्त सेवा से पृथक कर दिया जायेगा।

(5) उन्हें दिनांक 01.03.2021 तक अनिवार्य रूप से अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। यदि उनके द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाता तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से अपात्र किया जावेगा तथा चयनित सूची से उनका नाम पृथक कर दिया जावेगा।

(6) **वे मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया स्वस्थता का प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करेंगें जिसका व्यय उन्हें स्वयं वहन करना होगा।**

(7) सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त शारीरिक अथवा मानसिक स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रतिकूल होने की अवस्था में यह नियुक्ति आदेश स्वयमेव निरस्त माना जा सकेगा।

(8) उन्हे अनुप्रमाणन फार्म भरना होगा। पुलिस प्रमाणीकरण अथवा सत्यापन प्रतिकूल होने की अवस्था में यह नियुक्ति आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।

(9) वे उच्च न्यायालय के सेवाकाल में किसी अन्य विभाग को किसी पद के लिये सीधे आवेदन नहीं करेंगें।

(10) वे बिना पूर्व अनुमति के किसी विद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययन नहीं करेंगे, और न ही स्वाध्यायी छात्र के रूप में किसी परीक्षा में सम्मिलित होगें, यदि वे अध्ययन करते हुए अथवा परीक्षा में सम्मिलित होते हुए पाये गये तो उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(11) **वे कार्यभार ग्रहण करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति, मूल दस्तावेजों सहित अवश्य प्रस्तुत करें:—**
उक्त पद हेतु व्यापम, रायपुर को भेजे गये ऑनलाईन फार्म की प्रति, व्यापम, रायपुर द्वारा ली गई लिखित परीक्षा हेतु जारी की गई प्रवेश पत्र की प्रति, समस्त शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति, मूल प्रमाण पत्रों सहित अवश्य प्रस्तुत करें। यह पाये जाने पर कि उन्होने अपने आवेदन में (व्यापम को भेजे गये) और कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत प्रमाण पत्रों में मिथ्या तथ्यों का समावेश किया है या कोई तथ्य छिपाया है अथवा वह विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार अर्हता नहीं रखते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

(12) **यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके समस्त दस्तावेजों के जॉच के अध्याधीन है तथा यदि दस्तावेज पात्रतानुसार नहीं पाये जाने अथवा उचित/सही नहीं पाये जाने पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से वंचित किया जा सकेगा तथा उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।**

(13) यह नियुक्ति आदेश उनके उपलब्ध निवास के पते पर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रेषित की जा रही है साथ ही छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के वेबसाईट पर भी अपलोड की जा रही है। वे नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाईट से डाउनलोड करके भी अपना कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं।

(14) यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सेवायें (नियुक्ति, सेवा की शर्तें तथा आचरण) नियम, 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत की जा रही है अतः इस आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त उनकी सेवाएं उक्त नियम के प्रावधानों से शासित होंगी।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

सही/—
(दीपक कुमार तिवारी)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठां0 क्रमांक 2030 /
II-14-1/2018 (Comp. Prog.)

बिलासपुर, दिनांकः 10 फरवरी, 2021

<u>प्रतिलिपि</u> :—

1. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निज सचिव, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,

2. रजिस्ट्रार (आई.एण्ड ई./एस.एण्ड ए. सेल), छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
3. एडिशनल रजिस्ट्रार (न्या./जिला स्था./प्रशासन), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
4. प्रभारी रजिस्ट्रार (कम्प्यूटराईजेशन)–कम–सी.पी.सी., छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर उक्त आदेश को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
5. लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
6. डिप्टी रजिस्ट्रार (कार्य), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
7. सहायक रजिस्ट्रार (लेखा/स्था.), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
8. अनुभाग अधिकारी (प्रोटोकॉल/कैश), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
9. **श्री अशोक सिंह पैकरा, आत्मज श्री कुमार सिंह पैकरा, HIG 11A, बाजपेयी कैसल, मिनोचा कालोनी, बिलासपुर (छ.ग.),**

की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

10.02.2021

(दीपक कुमार तिवारी)
रजिस्ट्रार जनरल